"प्रभास्मि शशि सूर्ययोः"

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

सीआईएनःयू40109आरजे2000एसजीसी016486
पंजी.कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष / फैक्स : 0141–2747019 य वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
ई–मेल : Jaipurdiscom@jvvnl.org / ddpestt@jvvnl.org

क्रमांकःजेपीडी. / प्रशा. / एचआर / संस्था / पत्रा.1(134) / प्रे. 821 दिनांक : 24/05/2021

आदेश

जैसा कि सभी को विदित है कि विगत दिनों काफी संख्या में विद्युतकर्मी व उनके परिवारजन कोविड–19 संक्रमित हुये हैं। संक्रमणग्रस्त विद्युतकर्मियों व उनके परिवारजनों के उपयोगार्थ मैसर्स जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड़, जयपुर द्वारा जयपुर ड़िस्कॉम को कुल 06 ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये हैं। प्राप्त ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर संक्रमणग्रस्त विद्युतकर्मियों व उनके परिवारजनों को त्वरित प्रभाव से उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नानुसार आवंटित किये जाते है :–

क्रम सं.	संभाग कार्यालय	आवंटन	संभाग / वृत्त कार्यालय, जहां ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर उपलब्ध रहेंगे
1.	संभागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर संभाग)	2	जयपुर, अलवर
2.	संभागीय मुख्य अभियन्ता (कोटा संभाग)	2	कोटा, बारां
3.	संभागीय मुख्य अभियन्ता (भरतपुर संभाग)	2	भरतपुर, सवाई माधोपुर

संयुक्त / उप निदेशक कार्मिक / कार्मिक अधिकारी आवंटित उपरोक्त चिकित्सकीय उपकरण के अभिरक्षक होंगे। संभागीय मुख्य अभियन्ता / वृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी आवंटन पत्र के आधार पर उक्त चिकित्सकीय उपकरण कार्मिक शाखा के अधिकारियों द्वारा संक्रमित निगमकर्मी / परिवारजन को उपलब्ध करायेंगे। ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर आवेदक के प्रार्थना पत्र मय अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की अनुशंषा तथा मरीज के आधार कार्ड की प्रति प्राप्त होने उपरान्त् आवंटित करेंगे। सम्बन्धित अधिकारी आवंटन पत्र में स्पष्टतः उल्लेख करें कि उक्त उपकरण का संचालन व उपयोग अधिकृत चिकित्सक के निर्देशन व सलाह अनुसार ही किया जाये। उपयोगकर्ता ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की उपयोगिता / कुशलता (Performance) सुनिश्चित कर ही उसका उपयोग करें एवम् इसके लिए निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह सुविधा, वह रोगी जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता 5 लीटर / मिनिट से ज्यादा या आई.सी.यू. / वेंटिलेटर / बाई पेप की आवश्यकता है, के लिए नहीं है। समस्त उपयोगकर्ताओं से यह अपेक्षा रहेगी कि वह उक्त उपकरण को अनावश्यक रूप से न रखें एवं उपयोग के बाद सुचारू रूप से वापिस जमा करवा दें।

(कैलाश चन्द्र यादव)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य / संभागीय / अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर ड़िस्कॉम,
2. मुख्य लेखा नियन्त्रक / मुख्य कार्मिक अधिकारी / अति.पुलिस अधीक्षक(सतर्कता), जयपुर ड़िस्कॉम, जयपुर।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर ड़िस्कॉम,
4. संयुक्त निदेशक कार्मिक (ज.सं.) / उप निदेशक कार्मिक (जांच /   ), जयपुर ड़िस्कॉम,
5. समस्त अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, जयपुर ड़िस्कॉम,
6. समस्त कार्मिक अधिकारी / लेखाधिकारी, जयपुर ड़िस्कॉम,
7. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक / निदेशक(वित्त / तक.) / सचिव (प्रशासन), जयपुर ड़िस्कॉम, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

(हरिभूषण भाटिया) 24/5/21
संयुक्त निर्देशक कार्मिक (एचआर)